भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3495
दिनांक 21 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय क्रेच योजना

3495. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 2017 से अब तक राष्ट्रीय शिशुगृह योजना के अंतर्गत दी जा रही शिशुगृह सुविधाओं की संख्या और उनकी क्षमता संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे लाभान्वित होने वाले बच्चों की राज्यवार और संघ राज्यक्षेत्रवार संख्या क्या है;

(ख) सरकार द्वारा कामकाजी माता-पिता के लिए बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में क्रेच अवसंरचना में सुधार और विस्तार के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार महिला श्रम शक्ति भागीदारी बढ़ाने के लिए औद्योगिक क्लस्टरों में सरकार की मदद से शिशुगृह स्थापित करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने मातृत्व लाभ अधिनियम (एमबीए) में 2017 में किए गए संशोधन के प्रभाव का कोई आकलन किया है, जिसके तहत 50 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए परिसर में क्रेच सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसका खर्च नियोक्ता को वहन करना होगा और यदि हां, तो ऐसे आकलन के निष्कर्ष क्या हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए पूर्ववर्ती 'राष्ट्रीय क्रेच योजना (एनसीएस)' को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रेच सेवाएं प्रदान करने के लिए

01.01.2017 से 31.03.2022 तक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा था। इस योजना के एक भाग के रूप में, कार्यान्वयन एजेंसियों की तरह गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से स्टैंड-अलोन क्रेच संचालित किए जा रहे हैं।

नीति आयोग के विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) की रिपोर्ट के अनुसार, यह देखा गया कि अधिकांश राज्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि वे अलग-अलग स्टैंड-अलोन क्रेच के स्थान पर आंगनवाड़ी-सह-क्रेच (एडब्ल्यूसीसी) चलाना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे उनका वित्तीय, मानव संसाधन और प्रशासनिक बोझ बढ़ जाता है, जो एक अतिरिक्त योजना के कार्यान्वयन के कारण होता है। तदनुसार, मिशन शक्ति के लिए व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सिफारिश की कि क्रेच को निकटतम आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ विलय कर दिया जाए और उन्हें एडब्ल्यूसीसी के रूप में चलाया जाए।

तदनुसार, मंत्रालय ने बच्चों को डे केयर सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिनांक 01 अप्रैल 2022 से सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मिशन शक्ति के अंतर्गत पालना उप-योजना शुरू की।

पालना केंद्र प्रायोजित योजना है जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की भागीदारी सुनिश्चित करती है ताकि दिन-प्रतिदिन बेहतर निगरानी और योजना के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके और इसे केंद्र और राज्य सरकारों और विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के बीच 60:40 के वित्त पोषण अनुपात के साथ लागू किया जाता है, सिवाय पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के जहां अनुपात 90:10 है। विधानसभा रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।

आंगनवाड़ी केन्द्र विश्व के सबसे बड़े बाल देखभाल संस्थान हैं जो बच्चों को आवश्यक देखभाल और सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित हैं तथा अंतिम लाभार्थी तक देखभाल सुविधाएं सुनिश्चित करते हैं। अपनी तरह के पहले प्रयास में मंत्रालय ने आंगनवाड़ी- सह-क्रेच के माध्यम से बाल देखभाल की सेवाओं का विस्तार किया है। इससे पूरे दिन बच्चों की देखभाल सुनिश्चित होगी तथा सुरक्षित वातावरण में उनकी भलाई सुनिश्चित होगी। आंगनवाड़ी-सह-क्रेच पहल का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में 'महिला कार्यबल भागीदारी' को बढ़ाना है। पालना घटक का उद्देश्य बच्चों (6 माह से 6 वर्ष तक की आयु) के लिए सुरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण क्रेच सुविधा, पोषण सहायता, बच्चों के स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विकास, विकास निगरानी, टीकाकरण, शिक्षा इत्यादि प्रदान करना है। पालना के अंतर्गत क्रेच सुविधाएं सभी माताओं को उपलब्ध कराई जाएंगी, जिनमें

असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाली माताएं भी शामिल हैं, चाहे उनकी रोजगार स्थिति कुछ भी हो।

क्रेच की स्थापना और संचालन के लिए प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त किए जाते हैं, जो योजना के कार्यान्वयन के लिए अपने-अपने हिस्से का योगदान देने के लिए भी जिम्मेदार हैं। 15वें वित्त अवधि के दौरान, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 17,000 आंगनवाड़ी केन्द्र स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है, जिनमें से 11395 आंगनवाड़ी केन्द्र को विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालन के लिए मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। पालना योजना के अंतर्गत कार्यशील क्रेच सुविधाओं की संख्या तथा लाभार्थियों की संख्या **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

मातृत्व लाभ अधिनियम के अंतर्गत खानों और सर्कस जैसी कुछ गतिविधियों को छोड़कर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें उपयुक्त सरकार हैं। अधिनियम की धारा 11ए में पचास या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान में क्रेच सुविधा का प्रावधान है जो अलग से या सामान्य सुविधाओं के साथ उपलब्ध होगी। इस अधिनियम के प्रभाव का कोई केन्द्रीय मूल्यांकन नहीं किया गया है।

*****

अनुलग्नक-I

"राष्ट्रीय क्रेच योजना" के संबंध में श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि द्वारा दिनांक 21.03.2025 को उठाए गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3495 के उत्तर हेतु भाग (क) से (घ) में संदर्भित अनुलग्नक

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्टैंडअलोन क्रेच (दिनांक 28.02.2025 तक)		आंगनवाड़ी-सह-क्रेच (एडब्ल्यूसीसी) (दिनांक 28.02.2025 तक)		
		प्रचालन शील क्रेच	वर्तमान लाभार्थी	स्वीकृत क्रेच	प्रचालन शील क्रेच	वर्तमान लाभार्थी
1	आंध्र प्रदेश	10	218	108	-	-
2	अरुणाचल प्रदेश	43	1,075	86	-	-
3	असम	-	-	500	50	860
4	बिहार	-	-	85	65	297
5	छत्तीसगढ़	-	-	1,500	175	2,200
6	गोवा	2	56	9	9	0
7	गुजरात	-	-	25	-	-
8	हरियाणा	197	4,639	628	297	5,855
9	हिमाचल प्रदेश	52	635	152	-	-
10	झारखंड	-	-	1,024	-	-
11	कर्नाटक	162	3,078	248	164	3,608
12	केरल	260	3,680	504	-	-
13	मध्य प्रदेश	3	47	448	-	-
14	महाराष्ट्र	-	-	345	-	-
15	मणिपुर	214	5,350	702	-	-
16	मेघालय	11	246	84	76	1,180
17	मिजोरम	-	-	200	200	4,334
18	नागालैंड	-	-	470	150	3,362
19	ओडिशा	-	-	1,000	-	-
20	पंजाब	144	1,429	148	-	-
21	राजस्थान	-	-	-	-	-
22	सिक्किम	8	64	25	17	136
23	तमिलनाडु	111	2,115	600	-	-
24	तेलंगाना	-	-	1,033	8	63
25	त्रिपुरा	20	500	114	94	1,747
26	उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	-

27	उत्तराखंड	-	-	202	32	306
28	पश्चिम बंगाल	-	-	10	-	-
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	-	-	8	7	52
30	चंडीगढ़	-	-	210	200	2,893
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	-	-	95	25	614
32	दिल्ली	-	-	502	170	1189
33	जम्मू और कश्मीर	-	-	230	-	-
34	लद्दाख	-	-	6	6	87
35	लक्षद्वीप	-	-	8	-	-
36	पुदुचेरी	47	236	86	9	-
कुल		**1,284**	**23,368**	**11,395**	**1,761**	**28,783**

*****